

MR. SPEAKER : I read it in the papers that the case has gone to the court.

SHRI S. M. BANERJEE : I never wanted to discuss the point of law ; I wanted to know about the point of procedure.

MR. SPEAKER : The Home Minister will let me know the whole position.

SHRI S. M. BANERJEE : It was a privilege motion. It is not his concern.

MR. SPEAKER : I will not give any decision on it till I hear about the whole position.

SHRI S. M. BANERJEE : Should I take it that it is pending with you ?

SHRI JANESHWAR MISRA *rose* —

MR. SPEAKER : I will consider your motion.

SHRI S. M. BANERJEE : What about the privilege motion regarding Shri Dange ? Will you consider it ?

MR. SPEAKER : Yes, I will consider it and will give a ruling. I have read that it is before the court. But I have to ask the Home Minister to let me know the whole position.

14.45 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report of Indian Institute of Management, Ahmedabad

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : Sir, on behalf of Dr. V. K. R. V. Rao,

I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Indian Institute of Management, Ahmedabad, for the year 1969-70 together with a statement regarding not laying the Hindi version of the Report. [Placed in Library. See No. LT-4019/70]

FINANCIAL COMMITTEES, 1969-70— A REVIEW

SECRETARY : I beg to lay on the Table a copy of the "Financial Committee, 1969-70 (A Review)."

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha :—

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 18th August, 1970, agreed without any amendment to the Indian Post Office (Amendment) Bill, 1970, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 30th July, 1970."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 19th August, 1970, agreed without any amendment to the Contract Labour (Regulation and Abolition) Bill, 1970, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 5th August, 1970."

14.47 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing Tuesday, the 25th August, 1970, will consist of :—

(1) Further discussion on the Revised Budget for West Bengal for 1970-71.

- (2) Further discussion and voting on the Demands for Grants (West Bengal) for 1970-71.
- (3) Further consideration of the Resolution seeking approval of the continuance of President's Rule in West Bengal.
- (4) Discussion and voting on :
 - (i) Supplementary Demands for Grants (General) for 1970-71.
 - (ii) Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1970-71.
- (5) Consideration of the Resolution seeking disapproval of the Delhi University (Amendment) Ordinance, 1970 and consideration and passing of the Delhi University (Amendment) Bill, 1970, as passed by Rajya Sabha.
- (6) Further discussion on the Motions regarding Elayaperumal Committee Report on Utouchability Economic and Educational Development of Scheduled Castes and the 16th, 17th and 18th Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1966-67, 1967-68 and 1968-69.
- (7) Consideration and passing of the Patents Bill, 1967, as reported by the Joint Committee.
- (8) Discussion under rule 193 to be raised by Shri Shri Chand Goyal and others on the statement laid on the Table by the Minister of Foreign Trade on the 31st July, 1970 regarding establishment of Cotton Corporation of India at 5.00 p.m. on Thursday, the 27th August, 1970.

I may also inform the House that further consideration of the motion by Shri Prakash Vir Shastri regarding subversive and violent activities in the country will be provided on Wednesday the 2nd September at 4.00 p.m.

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : Sir, you will remember that you had agreed to allow a discussion on the cartographic aggression of the Soviet Union. What is going to be done about it ? When is the time going to be allotted for it ? I want to know that.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : इस विषय पर चर्चा हो गई है। यह भी निर्णय हो चुका है कि इनके लिए समय दिया जाएगा। बिजिनेस एडवाइजर्री कमिटी ने भी फंसला कर दिया है कि चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत नहीं होनी चाहिये, नियम 184 के अन्तर्गत होनी चाहिये ताकि हम सरकार की निन्दा कर सकें और सदन मतदान कर सकें। लेकिन यह देख कर मुझे ताज्जुब हुआ है कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। सोवियत संघ ने जो नक्शे प्रकाशित किए हैं, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। इस पर कब चर्चा होगी ? सदन उठने से पहले चर्चा होनी चाहिये। तयि निश्चित की जानी चाहिये।

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : There is unfinished discussion raised last week on the question of the grant of interim relief to Central Government employees. The main purpose of the discussion itself was that the House must know the decision of the Government in that respect. Even before some two or three groups could participate in the discussion and before the Government could reply to the discussion, the discussion was stopped at 6 O' Clock and left unfinished. I would very much urge upon the Minister to put it on the 1st day of the next week. After all, it will take 30 or 45 minutes to finish it. The Central Government employees all over the country are expecting some reply from the Government.

SHRI RANGA (Srikakulam) : Sir, you will remember that there was a lot of discussion in the House in regard to the admissibility of an adjournment motion on the cartographic aggression of the Soviet Union. But then you were good enough not to accede to our request and you wanted to give an opportunity to the House to have a discussion on it. I had suggested that we need to have a sufficient discussion for half a day at least, if not the whole day, on that particular matter. My friends have already mentioned the need for it. I would like to persuade the Government to give sufficient time during the next week itself on this very important matter.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta-North-East): Do I take it from what the Minister has said that the discussion of the Plan and the discussion of the Privy Purses matter have been put into cold storage? He should tell us about it and that is something on which I would like to be clear.

Then, as my hon. friend, Shri Umanath has said in regard to the unfinished discussion on the question of interim relief to the Central Government employees, it stands to reason that as soon as ever it is possible, the Government should come forward and make a definite statement in reply to the discussion on it. We are developing a very unfortunate habit of leaving things unfinished by not completing the discussions which are scheduled for a particular period. When discussion is not complete, the Minister never comes forward to allot time as soon as ever it is possible for an unfinished discussion.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir you remember the other day when Rule 193 discussion was going on regarding grant of interim relief to Central Government employees, it was discussed for more than an hour but the House was adjourned. Yesterday we discussed for more than 2 hours. I would only request that since the statement made by the hon. Minister of State for Finance Mr. Shukla in the other House has created enough confusion among the employees, that discussion should be allowed next week for about half an hour.

Secondly, we want a definite assurance from the Government that the Abolition of Privy Purses Bill will come up in this session.

Thirdly, I tabled calling attention notices. Now the Chief Minister of U.P. said that sugar mill nationalisation goes before the Central Government. He has commanded that it should be referred to the Supreme Court for its opinion. Sir, nationalisation on sugar industry is moving like a shuttlecock between the State and the Centre. I would request that the Minister should make a statement on that.

Lastly, I would crave your indulgence and put before the House that many promises were made that the Policemen of

Delhi will be reinstated. A statement should be made on that.

MR. SPEAKER: It has come up many times.

SHRI S. M. BANERJEE: I want a statement only. I do not want any discussion. You were here when so many promises were made by the Home Minister. Let a statement be made on that.

श्री शिव चन्द्र भ्मा (मधुबनी): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ तीन बातें आप के सामने रखना चाहता हूँ। दो बातों का उल्लेख दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा हो चुका है, इस लिए मैं उन पर जोर न दे कर केवल उन को रेफर करना चाहता हूँ।

जैसा कि हम लोगों को शक था, सरकार की कोशिश है कि चौथी पंच-वर्षीय योजना को स्कटल किया जाये और इस पर बहस न हो। ऐसा महसूस होता है कि उस पर बहस नहीं होने जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस विषय पर आगामी सप्ताह के दौरान या इस सत्र के आखिर तक बहस होगी या नहीं।

प्रिन्सी पर्स को खत्म करने के बारे में सरकार टिर्मिडिटी दिखा रही है, यह इस बात से प्रकट है कि वह सम्बद्ध विधेयक इस सत्र में नहीं ला रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बजह है सरकार उस विधेयक को नहीं ला रही है।

तीसरी बात मैं ने लिखी हुई है, जो मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ।**

MR. SPEAKER: Don't misuse this opportunity. This will not form part of the record. It is not relevant to what the Minister has said. (Interrupt:ons)

Nothing which he said beyond the relevant points will form part of the record. The discussion is about the announcement made by the Minister regarding the Business

of the House. (Interruption) It is a practice with him to do it every time.

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ (Wardha): You are very lenient you should be strict with such people. (Interruption)

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब आप कहते हैं कि "नथिंग बिल गो आन रिकार्ड", तो उस समय आप जो कुछ कहते हैं, वह भी रिकार्ड पर जाता है या नहीं। The record will be incomplete without that.

MR. SPEAKER : You are a wonderful Member of Parliament.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : He is the humour of the House.

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं संसद्-कार्य मन्त्री के जरिये रेलवे मन्त्री से अगले हफ्ते एक वक्तव्य चाहता हूँ। रेलवे के इलैक्ट्रिकेशन के लोग गिरपतार हैं, जेल में बन्द हैं। उन की माँगें बहुत ही जायज हैं। वे कई साल तक काम करते हैं, लेकिन उन को कभी परमानेंट नौकरी नहीं दी जाती है, उन को कभी मुस्तकिल नहीं किया जाता है। रेलवे मंत्री इस विषय पर वक्तव्य दें।

माननीय श्री अर्जुन सिंह भदौरिया और श्री शिवचन्द्र झा इतवार को श्रीमती इंदिरा गांधी की जमीन पर कब्जा कर के उन को भूमिहीनों में बांटने के लिए जा रहे हैं। वहाँ का रसवाला, बढीनाथ, पिछले कई दिनों से गायब कर दिया गया है। उस का अपहरण हुआ है या कल, यह माजूम नहीं है। मैं चाहूँगा कि गृह-कार्य मंत्री आज शाम तक इस पर बयान दें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूँ।

आप को स्मरण होगा कि पिछले शुक्रवार को मैंने आप का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था कि जब श्री एम० सी० चागला भारत सरकार के शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने सरकार की ओर से इसी सदन में यह आश्वासन दिया था कि हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक के साथ-साथ श्री घी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी एक विधेयक लाया जायेगा। लेकिन समाचारपत्रों में यह समाचार छपा है कि मन्त्री-परिषद् में इस प्रकार की बात आई और एक विशेष मन्त्री के इस्तीफे की घमकी देने से उस विधेयक को रोक दिया गया है। इस से देश में तरह-तरह की भ्रान्तियाँ पैदा होंगी। शिक्षा राज्य-मन्त्री, श्री भक्त दर्शन, यहाँ पर उपस्थित हैं। अच्छा तो यह था कि जो विधेयक श्री चागला के वक्त तैयार हो चुका था, वह हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक के साथ-साथ ही आ जाता, लेकिन अगर उस समय नहीं आया, तो वह अब आ जाना चाहिए। देश में इस प्रकार की भ्रान्तियाँ पैदा नहीं होनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ, जिस के बारे में मेरे सहयोगी, श्री रघुवीर सिंह शास्त्री व्यक्तिगत रूप से संसद्-कार्य मंत्री से मिलने के लिए गये थे, कि शाहदरा से ले कर सहारनपुर तक 140 किलोमीटर को रेलवे लाइन 1 सितम्बर से बन्द होने जा रही है। उस से हजारों कर्मचारी बेकार हो जायेंगे। इस रेलवे लाइन पर पांच मण्डियाँ और तीन शूगर फैक्ट्रियाँ पड़ती हैं। जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित चित्र देखा होगा, उन को पता होगा कि रेल गाड़ियों की हालत क्या है। इस सम्बन्ध में अगले सप्ताह सरकार की ओर से वक्तव्य दिखा जाये, या प्राई-नोटिस क्वेश्चन या किसी और तरह के विवाद की अनुमति दें। इतने बड़े क्षेत्र से रेलवे लाइन हटने जा रही है और संसद् में उस पर कोई चर्चा न हो, यह बात तग्त प्रतीत नहीं होगी।

13.00 hrs.

SHRI PARTAP SINGH (Simla) : The hon. Prime Minister had made a statement that a Bill for grant of Statehood to Himachal Pradesh would be introduced at the earliest. The whole House is looking forward to it. But it does not, however, find place in the agenda. Conditions in Himachal Pradesh, particularly administrative and developmental, cannot afford delay in the matter. It has to be a single small Bill.

I request you that you may kindly inform the Prime Minister to please see that this Bill is incorporated in the agenda for the next week and thus fulfil the aspirations of the people of Himachal Pradesh and also implement her own decision.

This is a most important matter, not only to the people of Himachal Pradesh but to the whole House, all sections of the House included. We seek your help also so that you may ask the Government to bring forward this Bill next week without fail, and it should be passed during this session.

अध्यक्ष महोदय : इस एनाउन्समेंट के प्रोग्राम को भी आप ने डिबेट में बदल दिया। कहां चले गए आप? सीधी सी बात कहनी थी कि हिमाचल का भी आना चाहिए।

श्री रणधीर सिंह : एक तो बात मुझे यह अर्ज करनी है कि ऐग्रीकल्चर सब से बड़ी इंडस्ट्री है इस देश की। इस ऐग्रीकल्चर के प्राबलम के ऊपर जितनी यहां डिबेट होती है, आल इंडिया रेडियो में बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक रहता है, ऐग्रीकल्चर के बारे में रेडियो पर कोई जिक्र नहीं आता है। तो मैं इन्फार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि वह स्टेटमेंट में इस मामले में श्री ऐग्रीकल्चर पर जितने लोग यहां बोलते हैं उस की चर्चा रेडियो में आनी चाहिए।

दूसरी बात...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस के लिए अब प्रोसीजर यह बना दे रहा हूँ कि पार्टीज के लीडर्स ही बोलेंगे। जिन मम्बरों को कोई

बात कहनी है वह अपनी पार्टी के लीडर्स के थ्रू अब कहेंगे।

श्री रणधीर सिंह : दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह अर्बन प्रापर्टी के बारे में है। अर्बन प्रापर्टी के बारे में एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए कि वह क्या करने जा रहे हैं।

तीसरी बात टीचर्स के सिलसिले में कहना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा जाय और इस के ऊपर भी एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आना चाहिए। जगह-जगह उन की तनख्वाहों के वावजूद और डिमांड्स के बावजूद गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कहें कि उन की बातें पूरी की जायें।

चौथी बात—दिल्ली पुलिस के सम्बन्ध में है। उस के ऊपर भी एक स्टेटमेंट आना चाहिए।

श्री मु० अ० खां (कासगंज) : अध्यक्ष महोदय, जैसा इस हाउस को बराबर यकीन दिलाया गया है प्रिवी पर्स के बारे में बिल इसी सेशन में आना चाहिए और उसे पास होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वह कब आएगा और कब उस पर डिस्कशन होगा?

अध्यक्ष महोदय : आप अपने लीडर से अपनी पार्टी में कहिए।

श्री मु० अ० खां : मैं इस वक्त पार्टी के सदस्य के नाते नहीं, इस सदन के सदस्य के नाते कह रहा हूँ। मैं इस सदन का सदस्य भी हूँ। उस नाते मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि फोर्थ पाइस ईयर प्लान पर यहां डिस्कशन होना चाहिए। यह हाउस बन्द होने से पहले उस के लिए टाइम निकाला जाना चाहिए। तीसरी बात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में कहना चाहता हूँ। जैसा शास्त्री जी ने कहा मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बिल आना चाहिए। यहां वह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की गोल्डेन जूबिली मना

जा रहे हैं। लेकिन वह इस बात के लिए बहुत जोर दे रहे हैं कि उस से पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बिल आना चाहिए। नहीं तो वह लोग इस बात के लिए तैयार है कि बिल नहीं आया तो गोल्डन जुबिली नहीं मनाई जायगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कांप्रीहेंसिव बिल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में सदन में लाया जाय। अगंडमेंट ला कर घोखे में न डाला जाय : एक कांप्रीहेंसिव बिल लाया जाय।

डा० सुशीला नायर (भांसी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि टेक चद कमेटी की रिपोर्ट पर डिस्कशन अभी अगुआ पड़ा है। चार पांच वर्ष हो गए कमेटी की रिपोर्ट को आए हुए। बड़ी मुश्किल से सदन के सामने वह डिस्कशन के लिए आया था और उत्तर के पहले एक मिनिस्टर साहब का स्वर्गवास भी हो गया है, जिन को जवाब देना था। तो मेरा निवेदन है कि एक घण्टा टाइम दे कर अगले सप्ताह में उसे पूरा किया जाय।

श्री कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह आप से पूछना है, आप ने यह कमिटमेंट किया था... (व्यवधान) मेरा एतराज आप से है कि आप का कमिटमेंट है रशियन मेप के बारे में, विजनेस ऐंडवाइजरी कमेटी में आप ने यह कहा कि इसके लिए टाइम दिया जाय तो यह आप की जिम्मेदारी है। आप अपने कमिटमेंट को पूरा कराइए और उस के लिए टाइम दिलवाइए।

दूसरा मेरा कहना है कि दिल्ली की स्टेटहुड के बारे में एक 193 का डिस्कशन जरूर मंजूर कीजिए।

श्री शशि भूषण (खारगोन) : मैं, अध्यक्ष, महोदय, आप के मार्फत संसदीय कार्य-मन्त्री से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पेटेंट बिल अगले सप्ताह में लाने का निर्णय लिया जा रहा है उस को इतना समय दिया जाय कि वह इसी

सत्र में पास हो जाये और प्रिवी पर्स तथा प्रिवीलेज के लिए भी अधिक समय होना चाहिए। पंचवर्षीय प्लान पर बहस भी अगले हफ्ते में होना आवश्यक है। आखीरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ एक जिमखाना क्लब है। चार दिन से वहाँ कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हिन्दुस्तान का यह क्लब सब से अधिक रंगीन क्लब है। इस हड़ताल के प्रश्न पर गृह मन्त्री महोदय बयान दें।

SHRI A. T. SARMA (Bhaujanagar) : I want to suggest to the Minister of Parliamentary Affairs that time should be found during this session for consideration and passing of the Patents Bill and the Indian Medicine Central Council Bill. These two Bills are most important and should be got through this session.

श्री मोहलू प्रसाद (वांशगांव) : अध्यक्ष महोदय, हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप ने कहा कि आगे से मैं ऐसी प्रक्रिया करने जा रहा हूँ कि सभी पार्टियों के लीडर्स के माध्यम से बात पहुंचाई जाय करे। यह प्रक्रिया निर्धारित करते समय यह भी आप ध्यान में रखें कि सारे लीडर संसद् का सत्र जब तक चलता रहे तब तक नियमित रूप से उपस्थित रहें ताकि लोग अपने विचारों को उन के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। ऐसा न हो कि जिस के लीडर न हों उस की बात ही न सुनें।

SHRI SRINIBAS S ISRA (Cuttack) : I was afraid to raise this matter when there was confusion and when the matter was very hot. You have provided us with this device through which we can hear two languages and more. But I sincerely wish that you find out or arrange some contraption by which we can shut out what we do not want to hear.

MR. SPEAKER : It is automatic. I cannot shut it out.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : I have received a telegram from Dacca. They say therein that arrangements should be made for sending the ashes of Maharaj Trilokya Chakravartty to Dacca.

MR. SPEAKER : No, no.

SHRI SAMAR GUHA : I have just seen the Prime Minister also.

MR. SPEAKER : No, no.

SHRI SAMAR GUHA : This is a sensitive and sacred matter. Government should make the necessary arrangements. I do not know what you mean by 'no, no' when I raise this.

श्री विमूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे देश में अमन चैन की स्थिति बहुत खराब है। बेकारी की समस्या ऐसी समस्या है कि और सब कामों को रोक कर पहले इसका हल न किया गया तो यह नक्सलाइट मूवमेंट सारे देश में फैल जायगा। यह जो एक मेप छपा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि कहां-कहां देश में नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा है और अगर यह बेकारी की समस्या न हल की गई तो यह मूवमेंट सारे देश में फैल जायगा। फिर न तो यह पार्लियामेंट रहेगी न यह भाषण देने वाले रहेंगे। सब कुछ सफाया हो जायगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार सब काम बन्द करके बेकारी की समस्या पर गौर करें, नक्सलाइट मूवमेंट को रोके, नौजवानों को काम दे ताकि ऐसी स्थिति पैदा न हो।

श्री कंबर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, रूसी नक्शों के बारे में बतलाइये।

SHRI RAGHURAMAIAH : I shall first mention about the Princes Privy Purses Bill. Government is most anxious and has always been anxious to start the discussion, but you know and the House knows that it requires a special majority. Yesterday and day before I have been in consultation with some of the leaders of groups and parties, and today I would like to see some of them.

SHRI RAM SUBHAG SINGH : You might be consulting your allies.

SHRI RAGHURAMAIAH : Those who

are supporting the Bill. Of course, if you are supporting, I will consult you also.

DR. RAM SUBHAG SINGH : I do not support you.

SHRI RAGHU RAMAIAH : This requires a special majority and we have to ensure the attendance of Members. Hon. Members are involved in the land movement etc.

श्री जनेश्वर मिश्र : उनको जेल से बुलाने की व्यवस्था कीजिये।

श्री स० मो बनर्जी : आप जेल से बुलाइये, वोट देकर चले जायेंगे।

SHRI RAGHURAMAIAH : In a day or two we can take a decision and come before the Business Advisory Committee after a decision is taken and place the matter before them.

About interim relief, Shri Banerjee will be glad to know that I shall certainly try, because so many hon. Members have spoken about it, to find some time.

MR. SPEAKER : Cartographic aggression.

SHRI RAGHURAMAIAH : The Business Advisory Committee has allotted time. We are always prepared to face anything. But I wonder which item I can withhold.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Patents Bill.

श्री कंबर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, आपने इसको आज्ञा दी थी कि समय निकाल कर रखें, अब इनका काम है उसको यहां पर रखना, क्योंकि यह आपकी आज्ञा थी। अध्यक्ष महोदय, अब आपके ऊपर मेरा चार्ज है, आप इस सदन को मर्यादा का रखिये, इस कुर्सी की मर्यादा को रखिये जहां आप बैठे हैं। अगर ये आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप इस सदन में कहिये। आपने सबके सामने आर्डर दिया था।

MR. SPEAKER : It was put in the Business Advisory Committee and after it

goes from me to the Business Advisory Committee, it becomes a decision of the Business Advisory Committee. I think some time must be found. You will reconsider it and find some time at least. I do not want the whole of the day, but some time must be found for it.

13.14 hrs.

PERSONAL EXPLANATION

(Shri Balraj Madhok)

श्री बलराज मधोक (दिल्ली दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, 20 मई, 1970 को भिवंडी के दंगों के सम्बन्ध में इस सदन में हुए विवाद में बोलते हुए श्री शशि भूषण वाजपेयी ने मुझ पर यह निराधार आरोप लगाया था कि भिवंडी में हुए दंगे से पहले अप्रैल मास में मैं वहां गया था और उसके कारण वहां दंगे हुए थे। मैंने तुरन्त इस बात का खण्डन किया था और कहा था कि यह सरासर झूठ है। अगर यह साबित करें तो मैं रिजाइन करूंगा, नहीं तो यह रिजायन करूँगे। उनका भाषण समाप्त होने पर मैंने फिर यह स्पष्ट किया कि मैं कभी भिवंडी नहीं गया और यह आरोप कि मैं वहां गया और इस लिए वहां दंगे हुए सरासर निराधार और मिथ्या प्रचार है। सदन के एक माननीय सदस्य के नाते श्री शशि भूषण का यह कर्तव्य था कि मेरे इस प्रतिवाद के बाद वे अपनी गलती को स्वीकार करते और सदन को गलत बात कह कर मिसलीड करने के लिये सदन से क्षमा मांगते...

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अगर नहीं गये तो अब हो आइये।

SHRI BAL RAJ MADHOK : If a man lacks in sense, I think the Speaker should not allow him. In this House I find that only people who do not behave have their way. Just as in this country today the lawless people hold sway, the people who do not follow the law dominate this House also,

श्री स० मो० बनर्जी : भिवंडी के नाम से इतना नाराज क्यों हैं ?

SHRI BAL RAJ MADHOK : I can deal with you in this House or outside. But this is not the way of behaving here.

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसे दिमाग रखते तो भगवान जाने प्रोफेसर किसने बनाया।

अध्यक्ष महोदय : आप हर बात में बोलते रहते हैं।

श्री स० मो बनर्जी : मैंने ऐसी कौन सी बात कही है।

अध्यक्ष महोदय : बार-बार बोलने से आदमी तंग आ जाता है, कितनी दफा मैं न कहा है। अब बैठ जाइये।

श्री स० मो० बनर्जी : स्पीकर साहब, उन्होंने इतनी बात कही, उनको आपने नहीं कहा। मैंने उनको कहा था—हो आइये—इसमें क्या बुरी बात कही है।

अध्यक्ष महोदय : आपको पता है कि वह आपसे बड़े एलजिक हैं, फिर भी आप छेड़ते हैं।

SHRI BAL RAJ MADHOK : I am referring to those people who do not behave.

श्री स० मो० बनर्जी : लेकिन मुझसे ज्यादा नाराजगी उनके अन्दर है, यह बात भी सही है।

श्री बलराज मधोक : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था—सदन के एक माननीय सदस्य के नाते श्री शशि भूषण का यह कर्तव्य था कि मेरे इस प्रतिवाद के बाद वे अपनी गलती को स्वीकार करते और सदन को गलत बात कह कर मिसलीड करने के लिये सदन से क्षमा मांगते। परन्तु ऐसा करने के स्थान पर उन्होंने फिर उस असत्य बात को इन शब्दों में दोहराया :